

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक 25 से

पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को सशक्त व जनसेवा केन्द्रित बनाने पर जोर

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग . जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग 25 से 29 जुलाई तक पांच दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में होगा। इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए 22 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बैठक ली। बैठक में जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) उपस्थित रहे। सचिव भागवतकर ने पीएलवी की भूमिका को सशक्त और जनसेवा केन्द्रित बनाने पर जोर दिया, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि न्याय की पहुँच सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से समाज के अंतिम



व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विधिक सेवा का उद्देश्य पूर्ण होगा।

उन्होंने पीएलवी को नए उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया। बैठक में कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण पर चर्चा की। यह प्रशिक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के नवीन सभागार में होगा। इसमें चयनित पांच ग्रामों कुथरेल, निकुम, घुघसीडीह, अरसनारा एवं ननकट्टी के सामुदायिक

मध्यस्थ भाग लेंगे। उन्हें विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सचिव ने योजना का उद्देश्य बताया कि आपसी संवाद और समझौते से विवादों का निराकरण कर मुकदमेबाजी कम की जा सके, जिससे मुकदमेबाजी मुक्त ग्रामीण भारत का निर्माण हो सके। पीएलवी ने भी अपनी चुनौतियों पर चर्चा की और समाधान हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया। सभी पीएलवी ने न्याय और विधिक सहायता पहुँचाने का संकल्प लिया।

बैठक

25 से 29 जुलाई तक होगा पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की तैयारियों की समीक्षा

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में 22 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि विधिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब न्याय की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को नए उत्साह, नई कार्यशैली एवं नई जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर्स न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं।



बैठक के दौरान मुख्य रूप से 25 से 29 जुलाई तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के चतुर्थ तल में स्थित नवीन सभागार में आयोजित होने वाले पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। सचिव द्वारा बताया गया

कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित पाँच ग्रामों कुथरेल, निकुम, घुघसीडीह, अरसनारा एवं ननकटूठी के सामुदायिक मध्यस्थ (मीडिएटर) भाग लेंगे, जिन्हें विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तैयारी • 25 जुलाई से 5 दिनी प्रशिक्षण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वॉलंटियर्स के साथ बनाई रणनीति समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं को पहुंचाने व मुकदमे कम करने गांवों में तैयार होंगे सामुदायिक मध्यस्थ

सिटीरिपोर्टर/दुर्ग

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के कार्यालय में जिला विधिक



सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को और अधिक सशक्त, संगठित तथा



बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय में बैठक हुई।

जनसेवा केन्द्रित बनाना था, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में सचिव ने कहा कि विधिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब न्याय की पहुंच

समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को नए उत्साह, नई कार्यशैली एवं नई जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि

पैरालीगल वॉलंटियर्स न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से ही विधिक सह्यता, जनजागरूकता एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है। बैठक के दौरान 25 से 29 जुलाई तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के चतुर्थ तल में स्थित नवीन सभागार में आयोजित होने वाले पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। सचिव ने बताया गया कि इस प्रशिक्षण में चयनित पांच गांवों कुथरेल, निकुम, घुपसीडीह, अरसनाग और नन्कड़ी के

सामुदायिक मध्यस्थ भाग लेंगे, जिन्हें विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता योजना के संबंध में जानकारी दी गई। सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य आपसी संवाद, सहयोग एवं समझौते के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी लाई जा सके तथा मुकदमेबाजी मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकें।

25 से 29 जुलाई तक होगा पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की तैयारियों की समीक्षा

दुर्ग(चिन्तक)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के 0 विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में दिनांक 22/07/2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें जिले के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को और अधिक सशक्त, संगठित तथा जनसेवा केन्द्रित बनाना था, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि विधिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब न्याय की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पैरा लीगल



वॉलंटियर्स को नए उत्साह, नई कार्यशैली एवं नई जिम्मेदारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पैरालीगल वॉलंटियर्स न्यायपालिका और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से ही विधिक सहायता, जनजागरूकता एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकता है।

बैठक के दौरान मुख्य

रूप से दिनांक 25 जुलाई से 29 जुलाई, 2026 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, दुर्ग के चतुर्थ तल में स्थित नवीन सभागार में आयोजित होने वाले पाँच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। सचिव द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित पाँच ग्रामों कुथरेल, निकुम, घुघसीडीह, अरसनारा एवं ननकट्टी के सामुदायिक मध्यस्थ (मीडिएटर)

भाग लेंगे, जिन्हें विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य आपसी संवाद, सहयोग एवं समझौते के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी लाई जा सके तथा मुकदमेबाजी मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकें। बैठक के समापन पर सभी पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय, विधिक सहायता एवं जनजागरूकता पहुँचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।